हिन्दी–ब

रचनात्मक मूल्यांकन
हेतू
शिक्षक संदर्शिका

कक्षा- X

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2–समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली–110092

नया आगाज़

आज समय की माँग पर
आगाज़ नया इक होगा
निरंतर योग्यता के निर्णय से
परिणाम आकलन होगा।

परिवर्तन नियम जीवन का
नियम अब नया बनेगा
अब परिणामों के भय से
नहीं बालक कोई डरेगा

निरंतर योग्यता के निर्णय से
परिणाम आकलन होगा।

बदले शिक्षा का स्वरूप
नई खिले आशा की धूप
अब किसी कोमल-से मन पर
कोई बोझ न होगा

निरंतर योग्यता के निर्णय से
परिणाम आकलन होगा।
नई राह पर चलकर मंज़िल को हमें पाना है
इस नए प्रयास को हमने सफल बनाना है
बेहतर शिक्षा से बदले देश, ऐसे इसे अपनाए
शिक्षक, शिक्षा और शिक्षित
बस आगे बढते जाएँ
बस आगे बढते जाएँ
बस आगे बढते जाएँ.........

CBSE
CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE EVALUATION
KNOW - AS YOU GROW

रचनात्मक मूल्यांकन
हेतु
शिक्षक संदर्शिका

हिंदी (पाठ्यक्रम- ब)

कक्षा - दसवीं

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2 - समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली- 1100092

कक्षा दसवीं के हिंदी पाठ्यक्रम हेतु रचनात्मक मूल्यांकन के लिए शिक्षक संदर्शिका

मूल्य : ₹

प्रथम संस्करण, 2010 केमाशिबो, भारत

द्वितीय संस्करण, 2013 केमाशिबो, भारत

प्रतियाँ : 20,000

कॉपीराइट : केमाशिबो, भारत

प्रकाशक : सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 2, सामुदायिक केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, दिल्ली- 110092

अक्षर संयोजन तथा विन्यास : **मल्टी ग्राफिक्स,** 8A/101, डब्लू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 फोन : 011-25783846

मुद्रक :

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण [1][प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और [2][राष्ट्र की एकता और अखंडता]
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई॰ को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 4 क

मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले;

[1](ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

1. संविधान (छयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा (12.12.2002) सें अंत: स्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1][SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the[2] [unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

1. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

THE CONSTITUTION OF INDIA

Chapter IV A

FUNDAMENTAL DUTIES

ARTICLE 51A

Fundamental Duties - It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

[1](k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his/her child or, as the case may be, ward between age of six and forteen years.

1. Ins. by the constitution (Eighty - Sixth Amendment) Act, 2002 S.4 (w.e.f. 12.12.2002)

प्रस्तावना

रचनात्मक आकलन इस तथ्य पर बल देता है कि शिक्षार्थी भी निर्णय-निर्माता हैं, यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी विगत आकलन व्यवस्था में इसकी उपेक्षा की गई। परंपरागत आकलन का झुकाव आकलन की आवृत्ति बढ़ाने की ओर था जिससे शिक्षार्थियों द्वारा कथित मानकों पर अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और दूसरी ओर सीखने के लिए आकलन का बल अधिगम के दैनंदिन विकास पर है जिससे वांछित मानकों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के शैक्षणिक सहयोग को बढ़ाया जा सके। यह शिक्षकों को बताता है कि शिक्षार्थी ज्ञान, व्याख्या और कौशलों के बुनियादी तत्वों को अर्जित कर रहे हैं। संक्षेप में, शिक्षार्थी की सफलता केवल अधिक बार परीक्षण के साथ नहीं जुड़ी है, न ही इसके साथ जुड़ी है जो शिक्षक और प्राचार्य परिणाम के साथ करते हैं और न ही इसके साथ कि कितने बेहतरीन तरीके से आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है, भले ही ये चीज़ें शिक्षार्थी की सफलता में योगदान दे सकती हैं।

के.मा.शि.बो. से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर सतत और समग्र मूल्यांकन को प्रारंभ करके के.मा.शि.बो. ने यह संदेश दिया है कि आकलन को शिक्षार्थी के व्यक्तित्व-विकास के सभी पक्षों का ध्यान रखना चाहिए और चूंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, आकलन को भी सतत होना होगा। आकलन को सीखने-सिखाने के संपूर्ण ढांचे के अभिन्न अंग के रूप में देखते हुए सीसीई (सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन) ने सैद्धांतिक रूप से परीक्षण के स्थान पर सीखने पर बल दिया है। जब कक्षायी अभ्यासों में इसे शामिल किया जाता है तो आकलन अपनी वैयक्तिक पहचान खो देता है और अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में घुल-मिल जाता है। इस प्रकार की संकल्पना रचनात्मक आकलन पर अधिक बल देने को अनिवार्य बना देती है। यह रचनात्मक आकलन को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य आकलन से प्राप्त जानकारी के आधार पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाते हुए सीखने को सुगम बनाना है।

विद्यालयी शिक्षा से जुड़े पणधारियों में रचनात्मक आकलन-अभ्यासों के संबंध में अवधारणागत स्पष्टता का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अनेक उपकरण और तकनीक, जो रचनात्मक आकलन के प्रतीत होते हैं, असल में योगात्मक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए, एक समय विशेष में, नापने के अभ्यासों में शिक्षार्थियों का सीखना विषय-वस्तु के मानकों के सापेक्ष होता है। प्रभावी रचनात्मक आकलन उपकरणों का निर्माण करने को अनेक शिक्षक एक चुनौती के रूप में पाते हैं, वे इन्हें

कक्षाकक्षीय अनुदेशनों में एकीकृत करने में भी कुछ कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस संबंध में अवधारणागत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए और शिक्षकों को रचनात्मक आकलन-कार्यों के कुछ उदाहरण देने के लिए बोर्ड ने कक्षा IX और X के सभी मुख्य विषयों में संदर्शिका की एक श्रृंखला निकाली है। यह श्रृंखला रचनात्मक आकलन की अवधारणा को समझने और कक्षा में रचनात्मक आकलन को प्रशासित करने में शिक्षकों की मदद करेगी।

हमें ऐसा लगता है कि साल-दर-साल और अधिक प्रभावी तरीके से सीसीई को समझने एवं उसे क्रियान्वित करने में हमारा जैसे विकास हो रहा है, शिक्षकों को उपलब्ध कराए जाने वाली शिक्षण-अधिगम सामग्री को एक बार फिर से देखा जाना चाहिए रचनात्मक आकलन संबंधी शिक्षक-संदर्शिका की गुणवत्ता के संबंध में बोर्ड द्वारा के.मा.शि.बो. मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों द्वारा व्यापक रूप से प्रतिपुष्टि प्राप्त की गई थी। संदर्शिका के पहले संस्करण के प्रकाशन के बाद प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों एवं इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय को भी ध्यान में रखा गया। त्रुटियों को दूर करने के लिए सभी संदर्शिकाओं का गहन परीक्षण किया गया और लगभग हर संदर्शिका के हर पाठ मे सुधार दृष्टिगत होता है।

संशोधित संदर्शिकाएँ प्रभावी कार्यों की योजना बनाने में शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए रचनात्मक आकलन हेतु नवीन और व्यावहारिक विचार तथा नीतियां प्रस्तुत करती हैं जिन्हें कक्षा में उपयोग में लाया जा सकता है। उपलब्ध कराए गए कार्यों में विविधता है और ये कार्य बड़े एवं छोटे आकार की - दोनों कक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कक्षा में किसी कार्यकलाप को पूरा करने में लगने वाला समय निर्धारित अथवा अनुबंधित समय के भीतर ही हो। स्पष्ट व्याख्याएँ और उदाहरण शिक्षकों का इस रूप में मार्गदर्शन कर सकेंगे कि वे रचनात्मक आकलन के लिए स्वयं अपने कार्यों का विकास कर सकें। प्रत्येक कार्यकलाप के अंत में दिए गए आकलन-मानदंडों को शिक्षक अपनी कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर सकते हैं।

शिक्षार्थियों के अधिगम की व्यापक समझ के लिए जहां भी उचित हो शिक्षक आकलन के भिन्न-भिन्न साधनों का प्रयोग अवश्य करें। इसके उपरांत शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों से प्रतिपुष्टि ली जा सकती है जिसके आधार पर वे यह निर्णय ले सकें कि सीखने और सिखाने में सुधार लाने के लिए क्या करना है। इस प्रकार स्वीकृत अपेक्षाओं के संबंध में वर्तमान संप्राप्ति-स्तर का निरंतर निरीक्षण करने के लिए शिक्षार्थी शिक्षकों के साझेदार बन सकते हैं। जिससे वे यह निर्धारित कर सकें कि आगे क्या सीखना है

और अपनी प्रगति को स्वयं प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकें। शिक्षार्थी एक-दूसरे को, अपने शिक्षकों को, और अपने परिवारों को अपने सीखने के साक्ष्यों को संप्रेषित करने में विशेष भूमिका निभाते हैं तथा वे ऐसा केवल तब नहीं करते जब सीखना पूरा हो चुका हो, बल्कि वे सफलता की पूरी यात्रा के साथ ऐसा करते हैं। संक्षेप में, सीखने के दौरान शिक्षार्थी आकलन प्रक्रिया के भीतर होते हैं, स्वयं की वृद्धि को देखते हैं, अपनी सफलता को नियंत्रित रूप से महसूस करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि यदि वे निरंतर प्रयास करते रहें तो सफलता उनकी पहुंच के भीतर है।

संदर्शिका में दी गई उद्देश्यपूर्ण तकनीकों और कार्यकलापों के विविध रंग आकलन को सर्वत्र अनुदेशन और अधिगम में बुनते हैं। और मुझे आशा है कि शिक्षक दिए गए सुझावों और विचारों को व्यावहारिक एवं उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में रूपांतरित कर सकेंगे जो उनकी अपनी कक्षाओं में सीखने-सिखाने को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। संशोधित संदर्शिका का उद्देश्य है - शिक्षकों को ऐसा मार्गदर्शन और आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराना कि वे स्वयं अपनी सामग्री तैयार कर सकें जिसके फलस्वरूप उनकी पाठ्यचर्या-संपादन मूल्यवान बन सके।

यह संशोधित दस्तावेज़ शिक्षकों के समूह द्वारा तैयार किया गया है और मैं उनके प्रति बोर्ड का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉ. साधना पराशर, आचार्य एवं निदेशक (शैक्षणिक, शोध, प्रशिक्षण और नवाचार), के.मा.शि.बो. के मूल्यवान मार्गदर्शन और भागीदारिता के लिए और संदर्शिका के संशोधन कार्य से जुड़े समस्त शैक्षणिक अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मुझे पूर्ण आशा है कि इस समृद्ध सामग्री की उपलब्धता के साथ के.मा.शि.बो. से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में शिक्षक और अधिक प्रभावी तरीके से आकलन को सीखने के साथ एकीकृत कर सकेंगे।

संदर्शिका को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का सदैव स्वागत है।

विनीत जोशी

अध्यक्ष

आभार

सलाहकार

श्री विनीत जोशी, अध्यक्ष

डॉ० साधना पराशर, आचार्य एवं निदेशक (शैक्षणिक, नवाचार, शोध एवं प्रशिक्षण)

अनुवीक्षण एवं संपादकीय समिति

श्री अल हिलाल अहमद, सहायक प्राध्यापक एवं संयुक्त निदेशक

कु० अंजलि छाबड़ा, सहायक प्राध्यापक एवं उप-निदेशक

सामग्री निर्माण समूह

श्रीमति सुनीता जोशी, टी०जी०टी०, केन्द्रीय विद्यालय, पश्चिम विहार, नई दिल्ली

श्री अरविन्द झा, पी०जी०टी०, डी०ए०वी० स्कूल, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली

विषय सूची

हिन्दी पाठ्यक्रम - ब

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना		
2.	आभार		
3.	विद्यालय-आधारित आकलन		1
4.	रचनात्मक आकलन-एक विहंगावलोकन		11
5.	रचनात्मक आकलन		35
	पद्य खंड		
6.	साखी	- कबीर	38
7.	पद	- मीरा	44
8.	दोहे	- बिहारी	50
9.	मनुष्यता	- मैथिलीशरण गुप्त	56
10.	पर्वत प्रदेश में पावस	- सुमित्रानन्दन पंत	64
11.	मधुर-मधुर मेरे दीपक जल	- महादेवी वर्मा	71
12.	तोप	- वीरेन डंगवाल	78
13.	कर चले हम फ़िदा	- कैफ़ी आज़मी	85
14.	आत्मत्राण	- रवींद्रनाथ ठाकुर	92
	गद्य खंड		
15.	बडे भाई साहब	- प्रेमचंद	99
16.	डायरी का एक पन्ना	- सीताराम सेकसरिया	106
17.	तताँरा-वामीरो कथा	- लीलाधर मंडलोई	112
18.	तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र	- प्रहलाद अग्रवाल	119
19.	गिरगिट	- अंतोन चेखव	126
20.	अब कहाँ दसरों के दुख में दुखी होने वाले	- निदा फ़ाज़ली	133
21.	पतझर में टूटी पत्तियाँ	- रवींद्र केलेकर	141
22.	कारतूस (एकांकी)	- हबीब तनवीर	149

क्रमांक	अध्याय			पृष्ठ संख्या
	संचयन भाग - 2			
23.	हरिहर काका	-	मिथिलेश्वर	158
24.	सपनों के - से दिन	-	गुरदयाल सिंह	165
25.	टोपी शुक्ला	-	राही मासूम रज़ा	172